न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवा राम स्वामी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :–75 / 2012

1–रामधन मीणा पुत्र श्री महादेव जाति मीणा निवासी ग्राम टोडामीणा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत टोडा मीणा, जरिये सरपंच पंचायत समिति जमवारामगढ तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राज0
2. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ जिला जयपुर राज0
3. श्रीमान तहसीलदार तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राज0

––रेस्पोडेंट्स––

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1– श्री सियाराम शर्मा अपीलांट की ओर से।

2– श्री राजकुमार शर्मा रेस्पोडेंट सख्या 1 की ओर से।

3–श्री जी0 एल0 मीणा राजकीय अधिवक्ता

:– निर्णय :– दिनांक :–14–02–2018

1– यह अपील अन्तर्गत धारा 75 (ए) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 31 / 12 / 2010 उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि अपीलार्थी ग्राम टोडा मीणा, ढाणी बड की खोरी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में अपने पूर्वजों के समय से निवास कर रहा है।अपीलार्थीगण का परिवार भूमि खसरा नम्बर 175 किस्म चरागाह में रकबा 02 बीघा पर गत 44 वर्षो से ज्यादा समय से रहवास करता चला आ रहा है अपीलार्थी का कब्जा बदस्तुर आज दिवस तक है।रेस्पोडेन्ट सख्या 01 ग्राम पंचायत ने प्रशासन गॉवों के संग अभियान के दौरान ग्राम सभा का प्रस्ताव दिनांक 25–06–2004 की प्रतिलिपि पेश की ओर यह निवेदन किया कि ग्राम सभा द्वारा दिनांक 25 जून 2004 को प्रस्ताव सख्या 08 पारित कर यह निर्णय लिया गया था कि ग्राम टोडा मे ग्रामवासियों द्वारा आबादी की मांग को देखते हुए व जनसख्या की मांग को देखते हुए जो पूर्व में आबादी भूमि है वो बहुत ही कम है। इसलिये खसरा नम्बर 175 रकबा 02 बीघा जो गोचर है,उसमें आबादी भूमि परिवर्तन करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से लिया गया है। प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान ग्राम पंचायत सरपंच

द्वारा उक्त प्रस्ताव पत्र की प्रतिलिपि व उसके साथ दिनांक 13–10–2010 को प्रस्तावित आबादी भूमि में आवंटियों की सूची तहसीलदार तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर को प्रेषित की गयी जिसमें अपीलार्थी व उसके परिवार के सदस्य जो उक्त सूची में क्रम सख्या–01 से 24 तक दर्शाये गये है उनका नाम अंकित किया गया व उक्त भूमि का नक्शा ट्रेस भी प्रस्तुत किया गया व नजरी नक्शा भी पेश किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान में उक्त भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित करने बाबत प्रार्थना–पत्र भी दिया गया था। अपीलार्थी तब से इस आश्वासन के साथ रहा कि उक्त भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तन करने की कार्यवाही व उसके परिवार के नाम आवंटन की कार्यवाही जेरे राज है। अपीलार्थी को जुलाई 2012 में इस बात की जानकारी हुई कि ग्राम पंचायत टोडा मीणा के सरपंच द्वारा प्रस्ताव सख्या 08 दिनांक 25–06–2004 के बाद दूसरा प्रस्ताव सख्या 06 दिनांक 11/11/2010 को लिया जाकर खसरा नम्बर 175 में से रकबा 02 बीघा भूमि आबादी में परिवर्तन करने बाबत अलग से सूची प्रस्ताव व साईड प्लान जिसमें आवंटियों की सूची अलग से नयी बनाकर रेस्पोडेन्ट सख्या 02 के कार्यालय में प्रस्तुत करके आदेश जारी करवा लिये गये है। रेस्पोडेन्ट सख्या 02 द्वारा दिनांक 31/12/2010 को प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत तहसीलदार जमवारामगढ एवं ग्राम पंचायत द्वारा अभिसंशा किये जाने पर खसरा नम्बर 175 किस्म चरागाह रकबा 166.60 बीघा में से रकबा 02 बीघा कम करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी। अपीलार्थी प्रार्थी गरीबी रेखा से नीचे का सदस्य है और उसके पास आवास हेतु जगह नहीं है।किन्तु रेस्पोडेन्ट सख्या 01 सरपंच ने अपने हितबद्ध व्यक्तियों को फायदा पहूंचाने के गैर कानूनी गरज से दुबारा प्रस्ताव सख्या 6 पारित करके उक्त भूमि को आबादी भूमि में परितर्वन करवाने के आदेश रेस्पोडेन्ट सख्या 3 से मिलीभगत करते हुए रेस्पोडेन्ट सख्या 2 से पारित करवा लिये है जो खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त आदेश खिलाफ कानून व राजस्थान कृषि भूमि आवंटन अधिनियम 1970 के नियम व प्रावधानों के विपरीत होने के कारण रेस्पोडेन्ट सख्या 2 द्वारा पारित आदेश दिनांक 31/12/2010 अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी को उक्त अवैध कार्यवाही की जानकारी जुलाई 2012 में होने पर उसके द्वारा एक प्रार्थना–पत्र रेसपोडेन्ट सख्या 2 को दिनांक 19 जुलाई 2012 को प्रेषित कर निवेदन किया कि उसे व उसके परिवारजनों को भूमि खसरा नम्बर 175 में से रकबा 02 बीघा भूमि आबादी हेतु आरक्षित किया जाना आवश्यक है किन्तु प्रार्थना–पत्र पर रेस्पोडेन्ट सख्या 2 द्वारा आवश्यक कार्यवाही नहीं करने के उपरांत प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि संबंधित विभाग से प्राप्त की गई एवं उसके उपरान्त अपने अधिवक्ता से राय मशविरा करके यह अपील प्रस्तुंत की जा रही है।अभी तक

उक्त आबादी भूमि रकबा 02 बीघा में से किसी भी व्यक्ति को आवासीय पट्टे रेस्पोडेन्ट सख्या 1 ग्राम पंचायत द्वारा जारी नहीं किये गये हैं किन्तु शीघ्र ही रेस्पोडेन्ट सख्या 01 सरपंच द्वारा अपने हितबद्ध व निजी व्यक्तियों को पट्टे जारी करने की कार्यवाही युद्धस्तर पर जारी है और अगर रेस्पोडेन्ट सख्या 1 ग्राम पंचायत द्वारा उक्त रकबा 02 बीघा आबादी भूमि में से आवासीय पट्टे दिगर व्यक्तियो को जारी कर दिये जाते है तो प्रार्थी अपीलार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी सूरत में किया जाना संभव नहीं है। अगर रेस्पोडेन्ट सख्या 01 सरपंच द्वारा उक्त भूमि में आवासीय पट्टे जारी कर दिये जाते है तो प्रार्थी–अपीलार्थीगण व उसके परिवारजन के सामने आवास हेतु गम्भीर समस्या उत्पन्न हो जाावेगी व प्रार्थी–अपीलार्थी व उसका परिवार जो उक्त भूमि पर पिछले 44 वर्षो से अधिक समय से काबिज चले आ रहे है उन्हें मजबूरन बेदखल होना पडेगा या उन्हें बेदखल कर दिया जायेगा। ऐसी सूरत में प्रार्थी–अपीलार्थीगण के सामने आवासीय समस्या उत्पन्न हो जाावेगी इसलिये इस अपील के निर्णय तक भूमि खसरा नम्बर 175 स्थित ग्राम टोडा मीणा में रकबा 02 बीघा भूमि जो आबादी में परिवर्तित की है उस पर आवासीय पट्ट जारी नहीं किये जाने बाबत रेर्स्पोडेन्ट सख्या 01 को पाबंद किया जाना आावश्यक एवं जरूरी है। अपीलार्थी द्वारा उक्त कथन कर निवेदन किया कि अपील स्वीकार फरमायी जाकर आदेश दिनांक 31/12/2010 पारित उपखण्ड अधिकारी जवारामगढ जिला जयपुर को अपास्त किया जाकर प्रकरण की नये सिरे से सुनवाई की जाकर प्रार्थी–अपीलार्थीगण को पूर्व में पारित प्रस्ताव सख्या 08 दिनांक 05–06–2004 की पालना में रकबा 02 बीघा भूमि के आवासीय पट्टे ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित आवंटित सूची दिनांक 18–10–2010 में वर्णित व्यक्तियों को दिये जाने के आदेश पारित करने की कृपा करे। अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा 5 प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन भी किया गया।

3–अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये नोटिस तलब किया गया।रेस्पो0 सख्या 01 की तरफ से अधिवक्ता उपस्थित आये तथा जवाब अपील प्रस्तुत किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

4– अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दौहराया गया।अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सख्या 01 द्वारा जवाब अपील प्रस्तुत कर कथन किया गया कि खसरा नम्बर 175 की रकबा 02 बीघा भूमि का आवंटन ग्राम के व्यक्तियों के आवास हेतु किया गया है तथा अभी तक कोई आवंटन नहीं किया गया है।दिनांक 18–10–2010 को जो प्रस्तावित आवंटितयों की सूची तैयार की गई है उसमें अपीलार्थी एवम उसके परिवार के सदस्यों का नाम दर्ज है। ग्राम पंचायत द्वारा जब भूमि का आवंटन किया जावेगा तब उक्त सूची में वर्णित व्यक्तियों को भी

विधि अनुसार आवंटन कर दिया जावेगा।ग्राम पंचायत की ओर से जवाब में यह भी अंकन किया गया है कि दूसरे प्रस्ताव सख्या 06 दिनांक 11/11/2010 में अंकित आवंटियों की सूची में भी जो भूमिहीन है उनको भी नियमानुसार भूमि आवंटित की जावेगी। अपीलान्ट रामधन गरीबी रेखा से नीचे का सदस्य है तथा उसके पास आवास हेतु जगह नहीं है एवं खसरा नम्बर 175 की भूमि पर उसका कब्जा भी संवत 2014 के पूर्व से ही चला आरहा है इन सभी तथ्यों को देखते हुए जब भी ग्रामवासियों को भूमि आवंटित की जावेगी अपीलार्थी को भी आबादी हेतु भूमि आवंटित कर दी जावेगी। रेस्पोडेन्ट सख्या 1 द्वारा प्रस्तुत उक्त जवाब प्रस्तुत कर दिये जाने के उपरान्त अपीलार्थी द्वारा उक्त तथ्यों को रिकार्ड पर लिया जाकर अपील का निस्तारण किये जाने की इस्तदुआ की गई।

5– अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मीमों में वर्णित तथ्यों पर विचार किया गया एवं रेस्पोडेन्ट सख्या 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब अपील पर भी मनन किया गया। अपीलार्थी को मुख्य आपत्ति अपीलाधीन आदेश दिनांक 31/12/2010 द्वारा आबादी भूमि हेतु किये गये आवंटन के संबंध में न होकर इस संबंध में है कि अपीलार्थी उक्त भूमि पर लम्बे अर्से से काबिज रहकर निवास कर रहा है तथा उक्त भूमि में से आवासीय प्रयोजन हेतु पट्टा प्राप्त किये जाने का हकदार है जबकिग्राम पंचायत द्वारा अन्य व्यक्तियों को आवंटन किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अपीलार्थी को आवंटन के समय नियमानुसार पट्टे जारी कर दिये जाने बाबत कथन किया गया है अतः अपीलार्थी की उक्त आपत्ति का कोई अर्थ नहीं रह गया है।उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 92 के तहत अपीलाधीन आदेश पारित कर खसरा नम्बर 175 में से 02 बीधा भूमि को आबादी हेतु सेटअपार्ट किया गया है उसमें कोई विधिक त्रुटि कारित किया जाना प्रतीत नहीं होता है तथा ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार अपीलार्थी को भी आवासीय भूमि आवंटन किये जाने का कथन किया गया है अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में कोई सार नहीं होने से वह खारिज योग्य है।

6–अतः अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 31/12/2010 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

7– निर्णय आज दिनांक 14–02–2018 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

जयपुर